झारखण्ड सरकार
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

अल्पकालिन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अंतिम रूप से अधिहरित (CONFISCATED) वाहनो की जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, के आधार पर बिक्री हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–03.06.2025 को 10.30 बजे पूर्वा0 से 3.00 बजे अप0 तक प्राप्त की जायगी। निविदा उसी दिन प्रमण्डलीय कार्यालय में निविदा–दाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3.30 बजे अप0 में खोली जायगी। निविदा–दाताओं को प्रत्येक वाहन के लिए 5000/–(पाँच हजार) रूपये मात्र अग्रधन की राशि अलग–अलग वाहन के लिए अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफे में निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह शाखा में भुगतेय हो, Divisional Forest Officer, Giridih East Forest Division के पदनाम से जमा करना होगा। निविदा में उच्चतम डाक वाले निविदा–दाताओं को स्वीकृत राशि की 20% जमानत की राशि तत्काल जमा करना होगा। सफल निविदा–दाताओं को नियमानुसार पूरी राशि 18% GST सहित 21 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। निविदा के अन्य शर्त कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के सूचना–पट्ट एवं गिरिडीह जिला के वेवसाईट तथा वन विभागीय वेवसाईट पर देखा जा सकता है।

वाहनों की सूची जिसके लिए निविदा आमंत्रित है :–

क0	अधिहरण वाद संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन संख्या	वर्त्तमान में जहाँ वाहन उपलब्ध है
1	2	3	4	5
1	55/22	स्वराज ट्रैक्टर ट्रेलर	JH-11X-5283	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
2	51/22	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. E3187287, Chassis No. B3168521	गिरिडीह वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
3	40/22	स्वराज ट्रैक्टर ट्रेलर	JH-11W-2687	तिसरी थाना परिसर
4	16/20	टाटा 407 पीकअप	JH-14A-0114	खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
5	43/21	ट्रैक्टर ट्रेलर	JH-11G-8960	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
6	68/22	ट्रैक्टर ट्रेलर	Model- HMT-3522 Eng.No. 67037, Chassis No. C49548	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
7	11/22	मोटर साईकिल	JH-11Q-7566	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
8	04/20	ट्रैक्टर ट्रेलर	JH-09AH-1463	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
9	20/19	टाटा 709	JH-04B-4119	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
10	45/19	ट्रक	JH-02K-8384	देवरी थाना परिसर
11	20/20	ट्रैक्टर ट्रेलर	Model- HMT 3522 Eng.No.64022, Chassis No.C-47506	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
12	56/20	ट्रैक्टर ट्रेलर	Model- HMT 3522 Eng.No.20434, Chassis No. 17450	गावां वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर

13	28/21	ट्रैक्टर ट्रेलर	Eng.No. 3100FLS43A393657F2, Chassis No. BZJSE394857SM	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर
14	01/17	ट्रैक्क्टर ड्रील मशीन सहित	HMT-3522	गावां थाना परिसर
15	79/22	सवारी गाड़ी	JH-12A-7161	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय परिसर

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

13/05/25

झारखण्ड सरकार
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अन्तिम रूप से अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों को जहाँ है तथा जिस स्थिति में है कि आधार पर बिक्री के लिए मुहरबन्द लिफाफे में निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें निम्नवत है :–

1. किसी भी वाहन के लिए उच्चतम मूल्य/उच्चतम निविदा की राशि स्वीकार करने के लिए अधोहस्ताक्षरी वाध्य नहीं हैं और उसे बिना कोई कारण बताये बिक्री से उठा लेने या रद्द करने के लिए सक्षम होगें।
2. अगर सफल निविदा–दाता निर्धारित समय के अन्दर पूरी राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं जमानत राशि अथवा अन्य जमा राशि बिना कोई कारण बताये forfeit कर ली जायगी।
3. असफल निविदा–दाताओं को अग्रधन की राशि निविदा पर अन्तिम निर्णय के पश्चात तुरत वापस कर दिया जायगा।
4. सफल निविदा–दाता द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर दी जायगी।
5. इच्छुक निविदा–दाता निविदा देने के पूर्व किसी भी कार्यालय अवधि में वाहन का उनके स्थान पर निरीक्षण कर सकते हैं।
6. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में 100/–(एक सौ) रूपये जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
7. निविदा–दाता डाक द्वारा भी निविदा भेज सकते हैं वशर्ते कि विहित प्रपत्र में निविदा अग्रधन की राशि सहित पूरी तरह से मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक–03.06.2025 को 3.00 बजे अपराह्न के पहले कार्यालय में प्राप्त हो जाये।
8. सफल निविदा–दाता के द्वारा प्रस्तावित मूल्य सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरन्त वाहन उनके पक्ष में मुक्त/हस्तांतरित की जायगी।
9. प्रत्येक वाहन में जिनके द्वारा निविदा डाला जायगा केवल उन्हीं लोगों के बीच Negotiation के माध्यम से उच्चतम मूल्य प्रस्तावित करने वाले के पक्ष में बिक्री की अनुशंसा की जायगी।
10. Negotiation में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिन्होने संबंधित वाहन के लिये निविदा डाला है।
11. बिक्री की जाने वाली वाहनों की सूची में उल्लेखित अधिहरित (Confiscated) वाहन पर किसी भी व्यक्ति को यह आपत्ति हो कि सुनवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो वे सूचना प्रकाशन के दो दिनों के अन्दर अपना यह दावा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रमाण पत्र/शपथ पत्र के साथ कार्यालय अवधि में प्रस्तुत करेंगे।
12. यदि सूचना प्रकाशन के उपरान्त उक्त निर्धारित तिथि तक अधिहरित (Confiscated) वाहनों पर कोई दावा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होगा तो यह समझा जायगा कि किन्ही को अधिहरित (Confiscated) वाहन की निविदा द्वारा बिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
13. निविदा द्वारा बिक्री किये जाने के पश्चात किसी भी वाहन पर प्रस्तुत दावा मान्य अथवा स्वीकार्य नहीं होगा।
14. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

E:\Court-2\NIVIDA\NIVIDA SHART.doc